


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

श्रवण वरम डाउन

ब्या : 37/24 डाका

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>क्रा.ता. प्रेरी का आवश्यकतय से धर्म कुराना के कर/पत्रवली प्रिंट 21/11/25 को प्रेश हो</p>	<p>सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर</p>
<p>21/12/25</p>	<p>पत्रवली पुस्तक व०फ० उप० उत्पन्न की कुरानात रिपोर्ट पर धर्म सुनी गई कुरानात पर करे कापीत नही की तथा कुराना के काधार पर डिडी पारित किये जाके हेतु निवेदन किया बूडि कुरानात रिपोर्ट पर करे कापीत नही है इतः वाद तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुरानात रिपोर्ट के काधार पर डिडी किया जाता है विस्वत निगोप एवं डिडी प्रथक से रिलखवाया गया पत्रवली फेसल शुमा बका वारियल दफ्त हो</p>	<p>अ/व/व (कादी) अजीन कलक्टर</p>
	<p>सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर</p>	

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : अंजू वर्मा
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या 37/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक : 27.05.2024

श्रवण मीणा पुत्र झूथाराम मीणा जाति मीणा, निवासी ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण।

..... वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र राधाकिशन
2. आंची पुत्री राधाकिशन
3. कावेता पुत्री राधाकिशन
4. छोटी देवी पत्नी राधाकिशन
5. धन्नी पुत्री राधाकिशन
6. बबली पुत्री राधाकिशन
7. मंगली पुत्री राधाकिशन
8. रामप्रसाद पुत्री राधाकिशन
9. सुगना पुत्री राधाकिशन
10. सुमन पुत्री राधाकिशन
11. सुरेश पुत्र राधाकिशन

समस्त जाति मीणा, समस्त निवासी ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण

12. उप पंजीयक जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
13. सरकार जरिये उपतहसीलदार जालसू, जिला जयपुर।
14. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर जयपुर।
15. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत
अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

दिनांक 21.01.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम बिशनसिंहपुरा, पटवार हल्का पुनाना, भू-अभिलेख जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 52 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नंबर 56 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 59 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 60 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 65 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 66 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 5.05 हैक्टेयर में

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर



स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी सन् 2074 से 2047 के अंतर्गत दर्ज इद्राज के अनुसरण में उक्त खसरान् की भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज जमाबंदी अनुसार अंकित है, तथा हिस्से अनुसार पक्षकारान् खातेदार काश्तकार है। वादी तथा प्रतिवादीगण की बिलावटी शामलाती आराजीयात है, तथा पक्षकारों ने आपस में परस्पर सहमति से मनबंट के आधार पर तकासमा कर उक्त मुतदाविया आराजीयात को हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं, वादी व प्रतिवादीगण एक ही मौरूसी आला एवं एक ही सजरा खानदान व परिवार के सदस्य है और पक्षकारान् के मध्य आज दिनांक तक उपरोक्त विवादित आराजीयात बाबत् कोई झगडा टंटा व गिला शिकवा नहीं रहा है। वादी उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की हस्त से निरंतर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और अपने हिस्से का राजस्व लगान भी जमा करवाता चला आ रहा है। इसी अनुरूप प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्से का राजस्व लगान अनुसार हिस्से राज लगान जमा करवाते चले आ रहे हैं। वादी अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज व अंकित चली आ रही है इसलिए वादी ने समय-समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि कब्जे काश्त के मध्यनजर मौके पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण मौके पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहे परंतु अब चूंकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजार दर अत्यधिक वृद्धि हो चकी है इसलिए प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया है और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी में अच्छी को विक्रय हस्तानान्तरण कर मौके की स्थिति को बदलना चाहते हैं। जिनका उन्हें कानूनन कोई अधिकार व हक हासिल नहीं है। पक्षकारान् [REDACTED] ही परिवार के सदस्य व एक ही मौरूसी आला की संतान होने के कारण भविष्य में पक्षकारान् के मध्य झगडा व टंटा नहीं होने के लिहाज से भी वादी अकेला होने की वजह से अपनी उक्त आराजी का न्यायालय हाजा से तकासमा करवाकर अपनी आराजी का पूर्ण रूपेण विधि के प्रावधानों की पालना में उन्नत कर वास्तविक उपयोग उपभोग करना चाहता है। प्रतिवादीगण में से कुछ प्रतिवादीगण दिनांक 21.05.2024 को मौके पर आये तथा उनके साथ अन्य अनजान व्यक्ति आकर भी खरीद फरोख्त की बातें कर रहे थे जिस पर वादी ने उन से पूछा तो दो अनजान व्यक्तियों ने यह कहा कि उक्त आराजीयात को हम खरीद फरोख्त करने की इच्छा रखते हैं तथा कुछ प्रतिवादीगण हमें अपना हिस्सा विक्रय हस्तान्तरण करने के लिए मौके आराजी दिखाने के लिए लेकर आये है जिस पर वादी ने अजनबी लोगों से तथा अपने ही भाईबंधो से निवेदन किया कि बाद तकासमा उक्त आराजी को विक्रय हस्तानान्तरण कर सकते हो किंतु इतना कहते ही प्रतिवादी संख्या 1 आग बबूला हो गया तथा अजनबी लोगों को वादी को धमकी देते हुए अपने साथ ले गया तथा धमकी भरे लिहाज में कहा कि कुछ ही दिनों में उक्त आराजी को हस्तानान्तरण कर देंगे। वादी अपने राजस्व कानूनी हक



अधिकारों से महारूम होने का डर से उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक तकासमा करवा लेना उचित समझते हुये पेश किया जाना लाजमी हुआ।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वो वाद पत्र का जवाब नहीं देना चाहते हैं। अतः इनका जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी व वादी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2024 को जारी की गई। तदुपरान्त वाद वादी बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे राज० टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम बिशनसिंहपुरा, पटवार हल्का पुनाना, भू-अभिलेख जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 52 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नंबर 56 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 59 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 60 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 65 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 66 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 5.05 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंडस के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू से कुर्रजात प्राप्त होने पर उभयपक्ष को बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट कुर्रजात/भू०अ०/संस्था/2024 /2725 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा कुर्रजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है। उभयपक्ष ने कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सभी पक्षकारान् ने कुर्रजात पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

1. अर्जुन पुत्र राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, आंची पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, कविता पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, छोटी देवी पत्नी राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, धन्नी पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, बबली पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, मंगली पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, रामप्रसाद पुत्र राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/11 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, सुगना पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, सुमन पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, सुरेश पुत्र


सहायक कलक्टर
आमेर प्रयपुर



- राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/11 (पूर्ण खाता) एसबीबीजे शाखा आमेर के हिस्से खसरा नंबर 52 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. श्रवण पुत्र झूथा जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर के हिस्से खसरा नंबर 60 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 59 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 65 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 66 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3. अर्जुन पुत्र राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/22 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, आंची पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, कविता पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, छोटी पत्नी राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, धन्नी पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, बबली पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, मंगली पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, रामप्रसाद पुत्र राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/22 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, श्रवण पुत्र झूथा हि. 1/2 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर, सुगना पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, सुमन पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, सुरेश पुत्र राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/22 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर के हिस्से खसरा नंबर के हिस्से खसरा नंबर 56 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अंजु वर्मा
आर.ए.एस



नियमित वाद संख्या 37/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक : 27.05.2024

श्रवण मीणा पुत्र झूथाराम मीणा जाति मीणा, निवासी ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण।

..... वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र राधाकिशन
2. आंची पुत्री राधाकिशन
3. कविता पुत्री राधाकिशन
4. छोटी देवी पत्नी राधाकिशन
5. धन्नी पुत्री राधाकिशन
6. बबली पुत्री राधाकिशन
7. मंगली पुत्री राधाकिशन
8. रामप्रसाद पुत्री राधाकिशन
9. सुगना पुत्री राधाकिशन
10. सुमन पुत्री राधाकिशन
11. सुरेश पुत्र राधाकिशन

समस्त जाति मीणा, समस्त निवासी ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण

12. उप पंजीयक जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
13. सरकार जरिये उपतहसीलदार जालसू, जिला जयपुर।
14. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर जयपुर।
15. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत
अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. अर्जुन पुत्र राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/11 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, आंची पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, कविता पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, छोटी देवी पत्नी राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, धन्नी पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, बबली पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, मंगली पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, रामप्रसाद पुत्र राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/11 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, सुगना पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, सुमन पुत्री राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार, सुरेश पुत्र

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर


- राधाकिशन हि. 1/11 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/11 (पूर्ण खाता) एसबीबीजे शाखा आमेर के हिस्से खसरा नंबर 52 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. श्रवण पुत्र झूथा जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर के हिस्से खसरा नंबर 60 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 59 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 65 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 66 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. अर्जुन पुत्र राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/22 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, आंची पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, कविता पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, छाटी पत्नी राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, धन्नी पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, बबली पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, मंगली पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, रामप्रसाद पुत्र राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/22 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, श्रवण पुत्र झूथा हि. 1/2 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर, सुगना पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, सुमन पुत्री राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार, सुरेश पुत्र राधाकिशन हि. 1/22 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/22 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर के हिस्से खसरा नंबर के हिस्से खसरा नंबर 56 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 21.01.2025 को जारी किया।

दस्तख्त—
 ओहदा—




 सहायक कलक्टर
 आमेर मु० जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	—	स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
महन्ताना वकील	—	—	महन्ताना वकील	—	—
खर्चा गवाहन	—	—	खर्चा गवाहन	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	फीस कमि	—	—
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	—	इनर	4 रूपये	—
मुतफरित	—	—	बबत् इजराय हुक्मानामा	—	—
मीजान	—	—	मुतफरित	—	—
			मीजान		